



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 118 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:— 02.12.2020
GCMS No.: 2020/00378

श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, देहली गेट के पास, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 22.12.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 118/2020/(22.12)/731 दिनांक 02.12.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 22.12.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 22.12.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/535 दिनांक 17.12.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 118/2020 (सू.अ.)
श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),
चित्तौड़गढ़

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.10.2020 को प्रस्तुत किया जो प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के सभी बिन्दु प्रश्नात्मक है।
3. यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प-3(22)प्रसू/सूअसप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत व्यवस्था प्रदान की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।
3. यह है कि प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2650 दिनांक 03.11.2020 से अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/535 दिनांक 17.12.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.10.2020 से तीन बिन्दुओं पर सूचनाएं चाही गई है जिसके बिन्दु संख्या 1 में



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



<p>प्रकरण संख्या 118/2020 (सू.अ.) श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़</p>
--

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 25.10.2020 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रतियां चाही गई है जो कि अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है। जबकि बिन्दु संख्या 3 में दिनांक 06.09.84 को जारी पट्टा विलेख से संबंधित, दस्तावेजों, कार्यालय टिप्पणी एवं पट्टे की प्रतिलिपियां चाही गई है किन्तु अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 3 में वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा पत्रावली संख्या, पट्टा संख्या पट्टा किसके नाम जारी किया गया आदि स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में बिन्दु संख्या 1 में वांछित सूचनाएं निः शुल्क उपलब्ध करावें। साथ ही अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 3 में वांछित सूचना का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के बाद बिन्दु संख्या 3 में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।



(के. के. प्रजा)

लोक सूचना अपीलार्थी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 118 / 2020 (सू.अ.) / 780

दिनांक:- 22 / 12 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी बून्दी रोड़, देहली गेट के पास, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)